मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

कमांक/ 2488 भोपाल, दिनांक 4.10.16

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
3. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश

विषय :– एचआईव्ही स्कीनिंग सेवाओं के विस्तार के संबंध में।
संदर्भः– इस कार्यालय के पत्र क./1441 भोपाल, दिनांक 01.05.2014।

प्रदेश में एचआईवी जांच सेवायें प्रदान करने के लिये आईसीटीसी केन्द्र मुख्यतः जिला चिकित्सालयों व सिविल अस्पतालों में स्थापित है, इसके साथ ही कुछ चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एफआईसीटीसी स्थापित है। प्रदेश में एचआईवी जांच सेवाओं को और अधिक सुगम व जन सामान्य की आसान पहुँच में लाने के लिये एचआईवी जांच सेवाओं के विस्तार के लिये कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

1 जिले की ऐसी सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को चिन्हित किया जावे जहां वर्तमान में आईसीटीसी/एफआईसीटीसी नही हैं। इनमें सिविल अस्पताल, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल है।

2 इन स्वास्थ्य केन्द्रों में से जिन में किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत लैब टेक्निशियन पदस्थ है, उनको चिन्हित किया जावे। साथ ही इन्ही केन्द्रों से मुख्यालय पर पदस्थ एक स्टॉफ नर्स/एल.एच.व्ही./ए.एन.एम. को चिन्हित किया जावे।

3 उपरोक्त चिन्हित स्टॉफ को जिला चिकित्सालय या अन्य नजदीक के आईसीटीसी में एचआईवी परामर्श, जांच, रिकार्ड संधारण व पी.ई.पी. पर प्रशिक्षण दिया जावे। प्रशिक्षण प्रशिक्षित स्टॉफ से ही दिलाया जावे।

4 उपरोक्तानुसार प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा उनके केन्द्रों पर एफआईसीटीसी आंरभ की जावे।

5 इन एफआईसीटीसी में गर्भवती महिलाओं, टी.बी. के रोगियों, यौन रोगियों, उच्च जोखिम समूहों और जन सामान्य को एचआईवी जांच सेवायें प्रदान की जावे।

6 इन एफआईसीटीसी के लिये सभी आवश्यक कन्ज्यूमेंबिल्स, चिकित्सालय से प्रदान किया जावे।

7 इन एफआईसीटीसी पर मात्र एचआईवी की स्कीनिंग की जावेगी, जहां पर एचआईवी का प्रथम टेस्ट लगाया जावेगा, जिसमें नॉन रियेक्टिव आने वाले केसों को पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग उपरांत रिपोर्ट दी जावेगी। प्रथम टेस्ट में रियेक्टिव आने वाले केसों को कोई रिपोर्ट नही दी जावेगी एवं उन्हें पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग उपरांत कन्फरमेट्री जांच हेतु नजदीक के आईसीटीसी केन्द्र में रेफर किया जावेगा एवं यह सुनिश्चित किया जावेगा कि ये केस आईसीटीसी पहुंच गये है।

8 एफआईसीटीसी से रेफर होकर आने वाले केसों की कन्फरमेट्री जांच आईसीटीसी द्वारा कर के अंतिम जांच रिपोर्ट दी जावेगी।

9 एफआईसीटीसी में एचआईवी परामर्श व जांच राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार की जावेगी।

10 एफआईसीटीसी पर एचआईवी जांच का रिकार्ड प्रशिक्षित स्टॉफ नर्स/एल.एच.व्ही./ए.एन.एम. व टेस्ट का रिकार्ड प्रशिक्षित लैब टेक्निशियन द्वारा रखा जावेगा।

11 सभी एफआईसीटीसी की रिपोर्टिंग का कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से बी.सी.एम./बी.पी.एम. द्वारा कराया जावे इस कार्य की निगरानी डी.सी.एम./डी.पी.एम. द्वारा की जावे।

12 इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जावे कि लेबररूम में सीधे आने वाली गर्भवती महिलायें जिनकी पूर्व में एचआईवी जांच न हुई हो, जांच का विवरण ज्ञात न हो की एचआईवी जांच हेतु होल ब्लड फिंगर प्रिक टेस्ट किट का प्रयोग किया जावे। किट रखने के लिये लेबररूम में रेफ्रिजरेटर उपलब्ध होना चाहिये।

13 आईसीटीसी / एफआईसीटीसी में एचआईवी जांच कराने वाले सभी व्यक्तियों की गोपनियता का पूर्ण ध्यान रखा जावे।

14 जिले में स्थापित समस्त आईसीटीसी एवं एफआईसीटीसी की मांग अनुसार एचआईवी जांच किट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वाहन भेजकर स्टेट रेफरेंस लैब जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर व म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति कार्यालय भोपाल से मांगकर, जिले को उपलब्ध कराये गये रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रखी जावे व मांग अनुसार आईसीटीसी व एफआईसीटीसी को प्रदान की जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं उक्त कार्यो की मॉनिटरिंग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की जावे।

1/10

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक / एफ 21–11 / आई.सी.टी.सी. / 2016 / **भोपाल, दिनांक ....**

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थ प्रेषित :–

1. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
4. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
5. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
6. राज्य क्षय अधिकारी, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
8. उपसंचालक, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
9. उपसंचालक, आशा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
10. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी 1, म..प्र.।
11. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम म.प्र.।
12. समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.।
13. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
15. समस्त जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
16. समस्त आईसीटीसी सुपरवाईजर म.प्र.।
17. समस्त आईसीटीसी परामर्शदाता एवं लेब टेक्निशियन,म.प्र.।

//

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग